HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

Rohtak Circle.

The 5th September, 1984/7th November, 1984

No. S.E. Rohtak Circle, PWD (B & R) Br. No. 28RA/VI/757.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expenses, for the public purposes, namely Constructing a road from Sunderpur Khidwali to Sasrauli in Rohtak District, it is therefore, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section VI of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section VII of the said Act, the Land Acquisition Officer, cum-District Revenue Officer Rohtak, is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of Land Acquisition Officer-cum-District Revenue Officer Rohtak and Executive Engineer Provincial Division No. II P.W.D. B & R Branch, Rohtak.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No
1	2	3	4	5	6
Rohtak	Rohtak	Sasrauli	67	0.44	50 2, 3, 8, 9

No. S.E. Rohtak Circle, PWD (B&R) Br. No 28RA VI/758.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government at public expenses, for the public purposes, namely constructing a road from Dubaldhan to Paira road in Rohtak District, it is therefore, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section VI of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section VII of the said Act, the Land Acquisition Officer-cum District Revenue Officer, Rohtak, is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Officer-cum-District Revenue Officer, Rohtak and Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D., B. & R. Br. No. II, Rohtak

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Khasra No.
1	2	3	4	5	6
Rohtak	Jhajjar	Majra	135	2.85	132 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 8/3, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2 133 6, 12, 13, 14, 15, 20/1, 20/2 134 15/2, 16 1427, 1424, 1425, 3503, 602, 1522

1	2	3	4	5	6
Rohtak	Jhajjar	Dubaldhan Kirman	1.36	24.68	12/11, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 13/7, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14/7, 15/13/1, 13/2, 17, 18, 25, 11, 12/1, 12/2, 16/15, 19/3, 4, 5, 20/1, 22/3, 4, 5, 6/1, 6/2, 23/1, 8, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 25, 24/20, 21, 22/1, 22/2, 23, 44/10, 12, 17, 18, 19, 23, 24/1, 24/2, 25, 45/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 7, 26, 62/4, 5/1, 5/2, 6, 63/1, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 77/21/1, 21/2, 78/1, 2, 8, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 78/14, 17/1, 17/2, 18, 24, 25, 16, 79/5, 104/1, 2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 25, 105/20, 21/1, 21/2, 22, 112/19, 20, 21, 22/1, 22/2, 113/1, 2/1, 2/2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 25, 144/4, 5, 6, 145/1, 2, 9, 10/1, 10/2, 4/1, 4/2, 5, 6

1	2	3	4	5	6
Rohtak	Jhajjar	Dubaldhan Kirman	136	26.68	330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 373, 368, 385, 390, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425. 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 498, 492, 524; 219, 222, 227, 248, 249, 250, 259, 260, 273, 278, 994
Do	Do	Palra	120	8.25	17 — 10/2, 11/1, 11/2, 12/2, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20, 23, 24/1, 24/2, 25 18 — 6, 7, 14, 15; 21 — 4, 5/1, 5/2 22 — 1/1, 1/2, 2, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2. 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 25 23 — 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 22; 29 — 21 30 — 1, 2/1, 2/2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25 41 — 2, 9, 12, 19; 157 — 26, 27, 28, 29, 30, 31 173, 175, 166, 508, 231, 246, 168, 167, 576, 568, 565, 572, 184 and 185

(Sd.)
Superintending Engineer,
Rohtak Circle, P.W.D., B.&R. Branch,
Rohtak.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 30 अक्तूबर, 1984

सं० ओ०वि०/सोनीपत/181-84/39769.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कुन्दरा शूज प्रा. लि. जी. रोड, कुन्डली (सोनीपत) के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक सालाना तरक्की 50 रु० प्रति वर्ष के हिसाब से लेने का हकदार है? यदि हां तो किस विवरण में?

2. क्या श्रमिक प्रति वर्ष दो जोड़ी वर्दी तथा 2 जोड़ी जूते के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

3. क्या श्रमिक लीव बुक, वेज स्लीप तथा आईडेन्टी कार्ड के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

4. क्या श्रमिक 250 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से गुड़ के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

5. क्या श्रमिक प्रति मास 4 चक्की साबुन के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण में?

मीरा सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

दिनांक 30 अक्तूबर, 1984

सं. ओ. वि/एफ. डी/146-84/39796.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. रेणमी स्टील प्लाट न. 231, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री रघुराज यादव तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 88/श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री रघुराज यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./एफ.डी./142-84/39803.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एकवा मैटल इन्डस्ट्रीज सी-71, एन. आई. टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम करण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बंधित मामला है :—

क्या श्री राम करण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 5 नवम्बर, 1984

सं. ओ. वि./एफ.डी./176-84/40051.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. विटकेम इन्डिया 12 इन्डस्ट्रीयल एरिया, एन. आई. टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री नन्दकू तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं,

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ।

क्या श्री नन्दकू की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

बी० पी० सहगल,
संयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।